C.E. (Procurement)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur
04 JUL 2016
R. No. 2655

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
CIN: U40109MP2001SGC014880
रजिस्टर्ड आफिस : ब्लाक नं.2 शक्ति भवन रामपुर,जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फैक्स: (0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in, website:mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/II/2655 दिनांक 2 JUL 2016

परिपत्र

म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक सी 3–12–2012 एक–3 दिनांक 27.06.2015; जो म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम 4(2) में संशोधन से संबंधित है; को कंपनी के आदेश क्रमांक 165 दिनांक 13.01.2016 द्वारा ग्राह्य किया गया है। उक्त संशोधन के अनुसार सहायक अभियंता (द्वितीय श्रेणी) तथा कनिष्ठ अभियंता (तृतीय श्रेणी) की पदोन्नति म.प्र. पदोन्नति नियम, 2002 के नियम 4(2) से संचालित होती है।

2 साथ ही राज्य शासन के निर्णयानुसार, कंपनी के आदेश क्र. अस/एमपीपीटीसीएल/दो/613 दिनांक 16.02.2016 द्वारा सभी प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं सहायक यंत्री तथा कनिष्ठ यंत्री को गोपनीय चरित्रावली के प्रकटन की व्यवस्था वर्ष 2016 से लागू की गई है। इसके तहत वर्ष 2011 से 2015 तक की गोपनीय चरित्रावली प्रकटन तथा तत्संबंध में श्रेणी उन्नयन हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया है जिस पर कंपनी में प्रचलित नियमों के तहत् विचार किया जावेगा।

3 चूंकि कंपनी के उपरोक्त आदेश दिनांक 16.02.2016 द्वारा सभी प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं सहायक यंत्री (द्वितीय श्रेणी) तथा कनिष्ठ अभियंता (तृतीय श्रेणी) को गोपनीय चरित्रावली प्रकटन की व्यवस्था लागू करते हुए श्रेणी उन्नयन हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है, अतः अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु कंपनी के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/II/1041 दिनांक 27.04.2015 द्वारा गठित समिति को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों से श्रेणी उन्नयन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कंपनी के परिपत्र क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/183 दिनांक 09.04.2007 में दिये प्रावधानों के तहत् किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। साथ ही कंपनी के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2726 दिनांक 03.11.2006 सहपठित आदेश क्रमांक अस/ एमपीपीटीसीएल/II/2531–32 दिनांक 27.06.2016 द्वारा मुख्यालय तथा मैदानी स्तर पर पुनर्गठित समितियों को भी कनिष्ठ यंत्री (तृतीय श्रेणी) द्वारा श्रेणी उन्नयन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निराकरण कंपनी के परिपत्र क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/185 दिनांक 09.04.2007 में दिये प्रावधानो के तहत् किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आदेशानुसार

(एस. ए. रिजवी)
मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/II/2656 दिनांक 2 JUL 2016

प्रतिलिपि–

1. कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.)/म.प्र.पा.मैने.कं.लि./ म.प्र.पा. जन.कं.लि./म.प्र. पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षे.वि.वि.कं.लि.,जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
2. कार्यपालक निदेशक (अउदा.–संधा. एवं निरी.)/(सीआरए)/(वित्त), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लिमि.,जबलपुर।
3. मुख्य अभियंता (अ.उ.दा– निर्माण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द)/(प्रोक्योरमेंट एवं मॉनिटरिंग)/ (परीक्षण एंव संचार)/(योजना एवं रूपांकन), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लिमि.,जबलपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मानव संसाधन विकास)/(सिविल–ट्रांसमिशन), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लिमि., जबलपुर।

F:\vikram\order.h

5. अतिरिक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)–दो,म.प्र.पा.ट्रां.कं.लिमि.,जबलपुर।
6. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/(400 केव्ही उपकेन्द्र) वृत्त/(सतर्कता)/(ट्रांस.–भण्डार), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,.......................
8. कार्यपालन अभियंता (अउदा–निर्माण/संधारण) /(परीक्षण), संभाग–1/2/(संचार)/(ट्रांस.–भण्डार) / (कर्मशाला) / 400–के.व्ही.–(परीक्षण) / (उप भा.प्रे.के.),संभाग–1/2, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,....................
9. उप निदेशक (भविष्य निधि)/(पेंशन)/(लेखा)/(वित्त), म.प्र. पावर ट्रांस.कं.लिमि, जबलपुर।
10. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
11 निज सचिव, संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र. पावर ट्रांस. कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
12. कंपनी सचिव, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
13. कल्याण अधिकारी कार्या.–मुख्य अभियंता (कार्पो.अफे.), म.प्र. पावर ट्रांस.कंपनी लिमि.,जबलपुर।
14. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
15. वेब मास्टर, कार्या–मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट एवं मॉनीटरिंग), म.प्र.पा.ट्रांस.कं.लिमि, जबलपुर।
16. कार्यपालन अभियंता–I/II/III/IV कार्या.– मुख्य अभि. (कार्पो.अफे.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लिमि,जबलपुर।
17. निज सचिव, कार्या.– मुख्य अभियंता (कार्पो.अफे.), म.प्र. पावर म.प्र.पा.ट्रांस.कं.लिमि, जबलपुर।
18. आदेश नस्ती।

– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अति. मुख्य अभियंता
कार्या.–मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

F:\vikram\order h